

# न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास डॉ. भँवर लाल, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या- 05/2021

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा।		1. सरपंच ग्राम पंचायत, भारजा। 2. मानव भारती चेरिटेबल ट्रस्ट मु. लाडो सुल्तानपुर जिला सोलन राज्य हिमाचल प्रदेश (माधव विश्व विद्यालय भुजेला ग्राम पंचायत भारजा)

पंचायत निगरानी प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थिति:-

1. श्री नटवरलाल जीनगर सहायक विकास अधिकारी प्रार्थी की ओर से।
2. अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढा, अप्रार्थी संख्या दो की ओर से।

निर्णय

दिनांक: 08.09.2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना-पत्र राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत सरपंच ग्राम पंचायत, भारजा द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी किया गया प्रस्ताव संख्या 15 दिनांक 05.09.2012 को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया है। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या दो की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढा द्वारा जरिए वकालतनामा के उपस्थिति दी गई एवं जवाब प्रस्तुत किया गया, जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण में दोनों पक्षों की विस्तृत बहस सुनी गई।

प्रार्थी की ओर से दौराने बहस मेरा ध्यान प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत भारजा द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के नाम से राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 68(X) के अन्तर्गत चार दीवारी एवं भवन निर्माण के संबंध में प्रस्ताव संख्या 15 दिनांक 05.09.2012 की पालना में आदेश क्रमांक/2012-13/432 दिनांक 06.09.2012 के द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है, जबकि ग्राम पंचायत को संपरिवर्तन भूमि पर चार दीवारी एवं भवन निर्माण की स्वीकृति जारी करने की पंचायतीराज नियमों में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं होने से जारी निर्माण अनुज्ञा नियम विरुद्ध जारी कर नियमों की पूर्ण अवहेलना की गई है, जो निरस्त योग्य है। यह है कि अप्रार्थी संख्या एक द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के नाम मौजा भुजेला व वाडा के खसरा संख्या 146/8 व 146/1 में स्थित भूमि जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 पर स्थित होने से इंडियन रोड कांग्रेस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बिना अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त किए ग्राम पंचायत द्वारा नियमों की अवहेलना करते हुए अनुज्ञा जारी की गई है, जिसके लिए अप्रार्थी संख्या एक सक्षम नहीं है। यह है कि अप्रार्थी संख्या एक द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के नाम संपरिवर्तन भूमि पर चार दीवारी एवं भवन निर्माण की स्वीकृति जारी करते समय पंचायतीराज अधिनियम 1994 के नियम 67(2)

हस्ताक्षर  
जिला कलक्टर, सिरोही

व राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 57 से 62 की पालना नहीं की गई है एवं सक्षम स्वीकृति लेने का अभाव पाया गया है। अतः निर्माण स्वीकृति विधि विरुद्ध होने से खारिज किए जाने योग्य है। यह है कि अप्रार्थी संख्या दो द्वारा पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 161(2)(ख) में उल्लेखित विनिर्दिष्ट सीमा का उल्लंघन कर नियम विरुद्ध निर्माण कार्य करवाया गया है, जो अवैधानितक है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर ग्राम पंचायत भारजा द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 05 दिनांक 20.10.2015 को निरस्त किया जाना फरमावे।

अप्रार्थी संख्या दो की ओर से उनके लायक अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढा द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान निगरानी मे प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि ग्राम पंचायत भारजा द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जो निर्माण स्वीकृति जारी की है, वह पूर्णतया नियमों के अन्तर्गत विधि सम्मत जारी की गई है। यह है कि अप्रार्थी संख्या दो ने विश्वविद्यालय के भवन निर्माण के प्रयोजन के लिए अनाधिभोगी सरकारी भूमि आवंटन करने हेतु नियमानुसार जिला कलक्टर सिरौही के मार्फत राज्य सरकार को आवेदन किया था, जिस पर राजस्थान भू-राजस्व(स्कूलों, धर्मशालाओं तथा अन्य जनोपयोगी भवनों हेतु राजकीय अनाधिवासित कृषि भूमि आवंटन) नियम 1963 के तहत ग्राम भुजेला व वाडा तहसील पिण्डवाडा के खसरा संख्या 146/8, 146/1 किस्म नहरी द्वितीय में से क्रमशः रकबा 41.05 बीघा व 8.15 बीघा भूमि किमतन आवंटन की स्वीकृति शासन उपसचिव राजस्व(गुप-3) विभाग राजस्थान जयपुर के पत्र संख्या पं.2/257/राज-3/12 दिनांक 17.05.2012 को प्राप्त होने पर जिला कलक्टर सिरौही के आदेश क्रमांक/पं.12(3)/22/राज/2013/3259-68 दिनांक 15.06.2012 द्वारा देना मंजूर कर अप्रार्थी संख्या दो के पक्ष में नियमानुसार दिनांक 15.06.2012 से 99 वर्ष की कालावधि तक पट्टेदार को पट्टे पर देने का आदेश पारित कर पट्टा विलेख का नियमानुसार पंजीयन उपपंजीयक भावरी के कार्यालय में दिनांक 22.06.2012 का निष्पादित किया गया था तथा उक्त पट्टा के पद संख्या 2(स) में स्थानीय ग्राम पंचायत में नियमानुसार मानचित्र के अनुमोदन एवं अनुमति के पश्चात् ही आवंटित भूमि पर निर्माण कार्य किया जा सकेगा, की शर्त के साथ पट्टा जारी किया गया था एवं इसी शर्त की पालना में अप्रार्थी संख्या दो ने अपने आवंटित पट्टेशुदा भूमि पर निर्माण कार्य के संबंध में अप्रार्थी संख्या एक से नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर नक्शा एवं प्लान के अनुसार मौके पर निर्माण कार्य उसी समय पूर्ण कर लिया था। यह है कि अप्रार्थी संख्या दो ने पट्टेशुदा भूमि पर सड़क सीमा को छोड़कर ही निर्माण कार्य किया है तथा अप्रार्थी संख्या दो द्वारा कुछ भूमि जरिए रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के क्रय की थी, जो सन् 1996 में प्राप्त भूमि थी एवं उस पर विक्रय विलेख के 13 वर्ष पूर्व से होटल निर्मित थी एवं उसी आधार पर भी अप्रार्थी संख्या दो ने नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त कर निर्माण कार्य किया है। यह है कि ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण स्वीकृति का आदेश दिनांक 23.10.2015 को जारी किया था तथा अप्रार्थी संख्या दो ने निर्माण स्वीकृति के आदेश की समयावधि में ही अपना सम्पूर्ण निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया था, इसके उपरान्त भी प्रार्थी द्वारा यह निगरानी प्रार्थना पत्र निर्माण स्वीकृति जारी होने के 06 वर्ष पश्चात अत्यन्त ही देरीना प्रस्तुत किया है, जो कानूनन अवधि बाहर होने से निरस्त किए जाने योग्य है। यह है कि ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव के विरुद्ध धारा 61 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 के तहत अपील विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा को 30 दिवस के अन्दर सुनवाई का क्षेत्राधिकार है, लेकिन उक्त प्रस्ताव के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई अपील नहीं की गई है। इस प्रकार श्रीमान न्यायालय में प्रार्थी को उक्त प्रस्ताव के विरुद्ध निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कानूनन क्षेत्राधिकार नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा उक्त निगरानी अप्रार्थी को हैरान परेशान करने की नियत से पेश की गई है, जो खारिज किए जाने योग्य है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाना फरमावे।



बल्लू  
निगरानी प्रार्थी, सिरौही

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र एवं अप्रार्थी संख्या दो के अधिवक्ता द्वारा की गई बहस एवं पत्रावली का भलिभाँति नियमों के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो निष्कर्ष निम्न प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या दो के हक में ग्राम पंचायत भारजा द्वारा प्रस्ताव संख्या 15 दिनांक 05.09.2012 को राजस्थान पंचायतीराज नियम नियम 1996 के नियम 68 के तहत मौजा भुजेला व वाडा के खसरा संख्या 146/8 व 146/1 में स्थित भूमि पर चार दीवारी एवं भवन निर्माण की स्वीकृति जारी करने के सम्बन्ध में पारित किया गया। जहाँ तक अप्रार्थी संख्या दो के लायक अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी प्रार्थना पत्र म्याद बाहर प्रस्तुत किए जाने का कथन है इस संबंध में विधिक दृष्टान्त सएआर 1997 पेज 783, आरएलडब्लू 1999(3) राजस्थान पेज 1390, आरएलडब्लू 1997(3) राजस्थान पेज 1567 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 धारा 97 का प्रयोग करते समय परिसीमा अधिनियम, 1963, अनुच्छेद 137 के अधीन पुनरीक्षण शक्तियों का उपयोग करने हेतु राज्य सरकार की शक्तियाँ जिला कलेक्टर को दी गई हैं। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1953 की धारा 27(क) सपठित राजस्थान पंचायत एवं साधारण नियम 1961 के नियम 272 के अन्तर्गत परिसीमा की अवधि के प्रावधानों के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग अभिनिर्धारित न्यायोचित अवधि के भीतर करने का निर्णय दिया गया है साथ ही न्यायोचित अवधि प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करेगी।

अप्रार्थी संख्या दो के अधिवक्ता द्वारा यह प्रार्थना पत्र म्याद बाहर प्रस्तुत किये जाने का कथन है, कि यह निगरानी प्रार्थना पत्र लम्बे समय बाद प्रस्तुत किया है अप्रार्थी संख्या दो के अधिवक्ता का यह कथन सत्य है, किन्तु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भी विधिक दृष्टान्तों में पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करने में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करना माना गया है, एवं ऐसे प्रकरण में भी समयावधि के बारे में उचित अवधि का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।

अप्रार्थी संख्या दो को राजस्थान भू-राजस्व(स्कूलों, धर्मशालाओं तथा अन्य जनोपयोगी भवनों हेतु राजकीय अनाधिवासित कृषि भूमि आवंटन) नियम 1963 के तहत ग्राम भुजेला व वाडा तहसील पिण्डवाडा के खसरा संख्या 146/8, 146/1 किरम नहरी द्वितीय में से क्रमशः रकबा 41.05 बीघा व 8.15 बीघा भूमि किमतन आवंटन की स्वीकृति शिवाजी उपसचिव राजस्व(ग्रुप-3) विभाग राजस्थान जयपुर के पत्र संख्या पं. 2/257/राज-3/12 दिनांक 17.05.2012 को प्राप्त होने पर जिला कलेक्टर सिरोही के आदेश क्रमांक/पं.12(3)/22/राज/2013/3259-68 दिनांक 15.06.2012 द्वारा देना मंजूर कर अप्रार्थी संख्या दो के पक्ष में नियमानुसार दिनांक 15.06.2012 से 99 वर्ष की कालावधि तक देने का आदेश पारित कर पट्टा विलेख का नियमानुसार पंजीयन उपपंजीयक भावरी के कार्यालय में दिनांक 22.06.2012 को निष्पादित किया गया था। चूंकि कार्यालय जिला कलेक्टर सिरोही द्वारा ग्राम भुजेला व वाडा तहसील पिण्डवाडा के खसरा संख्या 146/8, 146/1 किरम नहरी द्वितीय में से क्रमशः रकबा 41.05 बीघा व 8.15 बीघा भूमि अप्रार्थी संख्या दो को 99 वर्ष की कालावधि तक देने के लिए आवंटित की थी, परन्तु उस पर चार दीवारी एवं भवन निर्माण के लिए अप्रार्थी संख्या दो को सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारियों से स्वीकृति प्राप्त की जानी चाहिए थी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं ग्राम पंचायत भारजा द्वारा तैयार की गई मिसल का अवलोकन करने पर यह पाया जाता है कि ग्राम पंचायत भारजा द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में चार दीवारी एवं भवन निर्माण की स्वीकृति जारी करने से पूर्व सात दिन की मियादी का आपत्ति पत्र जारी किया गया है, जबकि राजस्थान पंचायतीराज नियम नियम 1996 के नियम 148 के अन्तर्गत किसी भी भवन निर्माण की स्वीकृति जारी करने से पूर्व एक माह की अवधि का आपत्ति इश्तहार जारी किए जाने का प्रावधान है। ग्राम पंचायत भारजा द्वारा उक्त आपत्ति इश्तहार को कहां-कहां सदृश्य स्थलों पर मौतबिरानों के समक्ष चस्था किया गया, उसका कोई विवरण कहीं पर भी अंकित नहीं किया है एवं न ही ग्राम पंचायत



जिला कलेक्टर, सिरोही

द्वारा निर्माण स्वीकृति जारी करने से पूर्व पंचायत सदस्यों से मौका निरीक्षण करवाया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि माधव विश्वविद्यालय राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 पर स्थित है, ऐसे में ग्राम पंचायत को चार दीवारी एवं भवन निर्माण की स्वीकृति जारी करने से पूर्व इण्डियन रोड कांग्रेस के प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक था, परन्तु पत्रावली पर ऐसा किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह साबित हो सके कि अप्रार्थी संख्या दो द्वारा उक्त निर्माण कार्य के सम्बन्ध में इण्डियन रोड कांग्रेस के प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकारी से किसी भी प्रकार की कोई अनुमति प्राप्त की है। अप्रार्थी संख्या दो के अधिवक्ता द्वारा भी उक्त निर्माण कार्य से पूर्व किसी भी प्रकार की अनुमति प्राप्त करने के सम्बन्ध में न तो कोई कथन नहीं किया है एवं न ही किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया है। राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 68(1) अनुसार फीस प्रभारित करने की अधिकतम दरें निर्धारित हैं एवं नियम 68(2) के अनुसार क्रमशः फीस निर्धारण के सम्बन्ध में पंचायत संकल्प पारित करेगी और पंचायत सर्किल के निवासियों से तीन दिन के भीतर आक्षेप/सुझाव आमंत्रित करते हुए सूचना पट्ट पर नोटिस प्रकाशित करेगी एवं नियम 68(3) के अनुसार नोटिस की तारीख से तीस दिन की समाप्ति के पश्चात पंचायत, उपान्तरणों सहित या रहित संकल्प पुनः पारित कर सकेगी अर्थात् इस प्रकार ग्राम पंचायत पारित संकल्प अनुसार फीसों का उद्गृहीत कर सकेगी, परन्तु पत्रावली पर ऐसा किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह साबित होता हो कि ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 68(2) व नियम 68(3) की पालना की हो। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि ग्राम पंचायत भारजा द्वारा अप्रार्थी संख्या दो को भवन निर्माण की स्वीकृति जारी करते समय 1/-रूपए प्रति वर्गमीटर की दर से राशि वसूल की है, जबकि राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 68(1)(ix) के अन्तर्गत भवन निर्माण अनुज्ञा हेतु 2/-रूपए प्रति वर्गमीटर की दर से राशि वसूल की जानी चाहिए थी। इससे स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत भारजा द्वारा पंचायत कोष में राजस्व की हानि की है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि मानव भारती(माधव) विश्वविद्यालय द्वारा निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र के साथ केवल मात्र लीज डीड की प्रति संलग्न करने पर ही ग्राम पंचायत भारजा द्वारा स्वीकृति जारी की गई है, जबकि बहुमंजिला इमारत के सम्बन्ध में सक्षम तकनीकी अधिकारी का मानचित्र, तकमीना एवं अनुमोदित प्लान प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। जहां तक अप्रार्थी संख्या दो द्वारा प्रस्तुत अनापत्ति प्रमाण पत्र का कथन है, जो ग्राम पंचायत भारजा द्वारा यथार्थ शिक्षण संस्थान भारजा के हक में जारी की है। चूंकि ग्राम पंचायत भारजा द्वारा दिनांक 12.10.2021 को यथार्थ शिक्षण संस्थान भारजा को स्कूल एवं हॉस्टल निर्माण कार्य के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है, न की स्वीकृति जारी की है, परन्तु इस प्रकरण में ग्राम पंचायत भारजा द्वारा अप्रार्थी संख्या दो को स्वीकृति जारी की है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि अप्रार्थी संख्या एक द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शिका में उल्लेखित पात्रता एवं पंचायत से परे जाकर प्रार्थना पत्र एवं पात्रता सम्बन्धी दस्तावेजों का परीक्षण किए बिना नियम विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया गया है।

अतः उपरोक्त अनियमितताओं एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत भारजा द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में पारित प्रस्ताव संख्या 15 दिनांक 05.09.2012 को निरस्त किया जाकर प्रकरण ग्राम पंचायत भारजा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उक्त भूखण्ड की मौके पर जांच कर एवं राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 में प्रदत्त प्रावधानों के अनुरूप विधि सम्मत कार्यवाही करें।

निर्णय सारे इजलास समारथ्या गया ।



Shelw  
(डॉ. भँवर लाल)  
जिला कलक्टर, सिरोही